शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–5515/नौ–5–2014–21रिट/2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– **उपाध्यक्ष,** समस्त विकास प्राधिकरण उ0प्र0।
2– **नगर आयुक्त,** समस्त नगर निगम, उ0प्र0।
3– **अधिशासी अधिकारी,** समस्त नगर पालिका परिषद,
नगर पंचायत, उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर 2014

विषयः सार्वजनिक स्थलों/मार्गों पर जनसामान्य हेतु निःशुल्क पेयजल बूथों तथा सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों को संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन के आदेश संख्या–17रिट/नौ–5–2014–21 रिट/2012 दिनांक 13.08.2014 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या–9635/2012(MB) (PIL) आशीष कुमार मिश्र बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.5.2013 के अनुपालन में निम्न बिन्दुओं पर तत्काल कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैः–

1– सार्वजनिक स्थलों पर जनसामान्य हेतु निःशुल्क पेयजल बूथों की स्थापना की जाय तथा उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाय।
2– जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिगत यथावश्यकता सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की स्थापना किया जाय तथा उसको सुचारू रूप से संचालित किया जाय।

2– उल्लेखनीय है कि नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत जनसामान्य को सड़क, पेयजल एवं सार्वजनिक शौचालय आदि सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने सम्बन्धी दायित्वों का निर्वहन नगरीय निकायों द्वारा किए जाने के सम्बन्ध में नगर निगम अधिनियम–1959 तथा नगर पालिका परिषद अधिनियम–1916 में स्पष्ट प्राविधान है। अतः सन्दर्भित अधिनियमों में प्रश्नगत दायित्वों के निर्वहन के सम्बन्ध में दी गई व्यवस्था को सुनिशिचित कराना नागर निकायों का कर्तव्य है।

3– उपरोक्त के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं पर भी प्राथमिकता पर कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही सम्बन्धी आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायः–

(i)– वर्ष 2014–15 में प्रथम चरण में जनसामान्य हेतु जहां–जहां पेयजल बूथ, सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की स्थापना की जानी है, उन स्थानों को चिन्हित कर निकाय के वित्तीय श्रोतों से सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों की स्थापना की जाय।

(ii)– वर्ष 2015–16 में द्वितीय चरण में ऐसे पेयजल बूथों, सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों, जो प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किये जा सके हों, उनकी स्थापना द्वितीय चरण में की जाय। नागर निकाय के आय के श्रोतों से यदि कार्य के

अंश का वहन किया जाना सम्भव न हो पाने की स्थिति में आवश्यक धनराशि का ऑकलन कर सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(iii)– राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्मित कराए जाने वाले पेयजल बूथों/सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों के स्थानों को चिन्हित कर निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की गणना कर सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय, जिससे भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित कर आवश्यक धनराशि भारत सरकार से प्राप्त किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

4– अतएव उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या/प्रस्ताव शासन तथा निदेशक, नगरीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ को शीर्ष प्राथमिकता पर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

15/9/2014

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या– 5515(1)/नौ–5–2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. निदेशक, नागर निकाय, उ0प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पेयजल बूथों, सार्वजनिक शौचालयों/मूत्रालयों के निर्माण की प्रगति समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या नियमित रूप से शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
7. निदेशक, सूडा लखनऊ।
8. श्री आशीष कुमार मिश्र, अधिवक्ता, पुत्र श्री ओम प्रकाश मिश्रा, नि0–ग्राम बाजार गांव 112, आंशिक सरौरा, ग्राम पंचायत सरौरा, थाना–अटरिया, तहसील–सिधौली, जिला– सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
8. नगर विकास अनुभाग–1, 2, 6, 7 एवं–9 को प्रकरण में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
उप सचिव।

paras.GO